कार्यवाही विवरण

पर्यावरण स्वीकृति आवेदन संबंध में लोक सुनवाई
मेसर्स एस. एन. संडर्सन, नन्हवारा चूना पत्थर खुली खदान परियोजना (7.09 हैक्टेयर) ग्राम नन्हवारा, तहसील विजयराघवगढ़, जिला कटनी (म.प्र.)

भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली की पर्यावरण प्रभाव आंकलन (ई.आई. ए,) अधिसूचना क्रंमाक एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार मेसर्स एस. एन. सडर्सस, नन्हवारा चूना पत्थर खुली खदान परियोजना (7.09 हैक्टेयर), जिसकी उत्पादन क्षमता 1500 टन चूना पत्थर प्रति वर्ष की है, एवं जो कि ग्राम नन्हवारा, तहसील विजयराघवगढ़, जिला कटनी में स्थित हैं, के लिए केन्द्रीय शासन से पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने के संबंध में लोक सुनवाई दिनांक 17.01.2008 को प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित, नन्हवारा के कार्यालय प्रांगण में सम्पन्न हुई।

अधिसूचना के प्रावधान के अनुसार लोक सुनवाई के संबंध में आम सूचना का प्रकाशन क्षेत्र में वितरित होने वाले राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों क्रमशः नवभारत एवं दैनिक भास्कर में दिनांक 09.12.2007 को कराया गया एवं प्रचार प्रसार हेतु बैनर लगाए गए तथा आस–पास के गॉवों में मुनादी भी कराई गई।

लोक सुनवाई अपर कलेक्टर कटनी श्रीमति शशि कर्णावत की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस दौरान म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी श्री पी. एस. बुदेंला एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। खदान प्रबंधंन की और से कम्पनी के जनरल मैनेजर (वर्क्स) श्री ए. पी. पाठक एवं पर्यावरणीय सलाहकार क्रियेटिव इनवायरो सर्विसेस की ओर से श्री संतोष खंताल एवं खदान परियोजना स्थल के आस–पास के गाँव के रहवासी उपस्थित हुए।

<u>लोक सुनवाई की कार्यवाही का विवरण निम्नानुसार हैः–</u>

सर्वप्रथम श्री आर. आर. सिंह सेंगर, सहायक यंत्री, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने उपस्थित सभी महानुभावों का स्वागत किया एवं क्षेत्रीय अधिकारी, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण मंडल, जबलपुर श्री पी. एस. बुदेंला द्वारा लोक सुनवाई प्रकिया की आवश्यकता के संबंध में संक्षिप्त जानकारी दी गई तथा श्री सेंगर द्वारा लोक सुनवाई आयोजन के संबंध में नियम में निर्धारित व्यवस्थायों के सापेक्ष बोर्ड द्वारा संपादित कार्यवाही की जानकारी जनमानस को दी गई। इसके उपंरात आवेदक मेसर्स एस. एन. संडर्सन एण्ड कम्पनी के प्रतिनिधि श्री ए. पी. पाठक से आग्रह किया कि प्रस्तावित परियोजना के संबंध में संक्षिप्त जानकारी एवं ई. आई. ए सारांश इस क्षेत्र की भाषा (हिन्दी) में लोक सुनवाई में प्रस्तुत करें।

नन्हवारा खदान परियोजना की ओर से जनरल मैनेजर श्री ए. पी. पाठक द्वारा अपर कलेक्टर श्रीमति शशि कर्णावत एवं क्षेत्रीय अधिकारी, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण मंडल, जबलपुर कां स्वागत करते हुए उक्त परियोजना के संचालन से आसपास के क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य तथा रोजगार विकास संबंधी जानकारी को रेखाकिंत किया गया तथा परियोजना से संबंधित तकनीकि एवं पर्यावरणीय व्यवस्थाओं की जानकारी देने के लिए मेंसर्स क्रियेटिव इनवायरो सर्विसेस की ओर से श्री संतोष खंताल को आंमत्रित किया। श्री संतोष खंताल के द्वारा परियोजना के संबंध में निम्न जानकारी प्रस्तुत की गईः–

- म. प्र. शासन के द्वारा मेसर्स एस. एन. सेंन्डरसंन को चूना पत्थर के उत्खनन के लिए ग्राम नन्हवारा तहसील विजयराघवगढ़ जिला कटनी के अन्तर्गत 7.09 हैक्टेयर जमीन की लीज वर्ष 1984 में आवंटित की गई है। खदान को वर्तमान में वर्ष 2014 तक की अवधि हेतु माइनिंग लीज प्राप्त है।

- नन्हवारा खदान की जमीन बैरन प्रकार की हैं एवं खदान की लीज भूमि पर किसी भी प्रकार की रहवासी गतिविधियाँ नहीं हैं।

- खदान को खुली पद्धति एवं मानवीय प्रयासों से संचालित किया जाएगा जिसमें सब्बल, कुदाल, फावड़ा, छेनी, हथौड़ा जैसे औजारो का इस्तेमाल किया जाएगा।

- चूना पत्थर की छटाई, ढुलाई का कार्य भी मजदूरों के द्वारा ही किया जाएगा।

- उक्त परियोजना में खनन हेतु पानी की आवश्यकता नहीं होगी । अतः पानी के प्रदूषण की संभावना नहीं हैं। घरेलू दूषित जल की निपटान व्यवस्था सेप्टिक टेंक व सोक पिट के द्वारा की जाएगी।

- खदान क्षेत्र से परिवहन वाहनों के आवागवन के दौरान धूल कणों के उत्सर्जन को रोकने के लिए पानी के छिड़काव की व्यवस्था की जावेगी। इसके अतिरिक्त अधिकाधिक वृक्षारोपण भी किया जावेगा।

- ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ड्रिलिंग का कार्य नमीयुक्त विधि से किया जाएगा। ब्लास्टिंग अत्याधुनिक मफल ब्लास्टिंग तकनीकी से की जावेगी । परियोजना क्षेत्र में हरित पट्टिका का विकास किया जाएगा एवं ध्वनि बहुल्य क्षेत्र में कार्य करने वाले कर्मचारियों को ध्वनि अवरोधक यंत्र (ईयर प्लग) दिए जावेगे।
- खनित भूमि को खदान अवशिष्ट पदार्थों से भरा जावेगा। लीज अवधि में कुल 6.1455 हैक्टेयर क्षेत्र में उत्खनन होगा एवं लगभग 52832 घनमी अवशिष्ट लीज अवधि के अंत तक एकत्रित होने की संभावना हैं।

- खदान परियोजना में सघन वृक्षारोपण की योजना बनाई गई है। लीज क्षेत्र के अंतर्गत खनिज के उत्खनन के लिए अनुपयोगी क्षेत्र में भी वृक्षारोपण किया जाएगा, जिससे लीज अवधि के अंत तक उस क्षेत्र की वानस्पतिक सुदंरता बढ़ जाएगी।

- उक्त खदान परियोजना में क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलेगा। परियोजना के लिए लगभग 50 मजदूरों की आवश्यकता होगी, जिनकी पूर्ति निकटवर्ती क्षेत्रों से ही होगी। परियोजना से अप्रत्यक्ष रोजगार की संभावना भी बढ़ेगी।

इसके पश्चात् अपर कलेक्टर श्रीमति शशि कर्णावत द्वारा परियोजना स्थल के आसपास स्थित ग्रामवासियों को परियोजना के संबंध में कोई अन्य जानकारी प्राप्त करने,, सुझाव, आपत्ति या टीका–टिप्पणी करने के लिए आमंत्रित किया गया। उपस्थित लोगों के द्वारा प्रस्तुत सुझाव, आपत्ति या टीका टिप्पणी के मुख्य बिंदु निम्नानुसार हैः–

1. उपस्थित जनसमुदाय द्वारा बहुमत से खदान परियोजना से कोई भी आपत्ति नहीं होने का कथन किया गया ।
2. खदान परियोजना में आस–पास के ग्रामवासियों को रोजगार दिये जाने की मांग की गई ।
3. खदान में चौकीदार रखे जाने की मॉग की गई।
4. खदान परियोजना से गॉव का विकास होने की आशा प्रकट की गई ।
5. खदान परियोजना में उत्पादन शीघ्र प्रारंभ करने की मांग की गई ।
6. रोड को धूल रहित रखने एवं फसलों को नुकसान न हों, इसकी व्यवस्था करने की मांग की गई है ।
7. रोड पर जल छिड़काव की बेहतर व्यवस्था करने की मांग की गई है ।
8. कम्पनी द्वारा नेत्र शिविर लगाए जाते है तथा हृद्रय की बाईपास सर्जरी भी कराई जाती है। किन्तु बहुत से लोगों को इसकी जानकारी न होना, जानकारी में आया है।
9. खदान के मजदूरों की सुरक्षा की बेहतर व्यवस्था की जावे
10. कम्पनी द्वारा पाइप लाइन द्वारा नन्हवारा गॉव के हर मोहल्ले में पानी दिया जावे।
11. मजदूरों को नियमानुसार मजदूरी दी जावे तथा ग्राम में स्कूल एवं दवाईयों की व्यवस्था कराई जावें।
12. माइन वाटर खेतों तक पहूॅचाने हेतु नाली बनवाई जावे।
13. हैल्को ब्लास्टिंग न की जावे इससे गॉव के मकानों में दरार आती है एवं दूर्घटना का अंदेंशा रहता है।
14. मजदूरों को चोट लगने पर उनके उपचार की उचित व्यवस्था की जावे ।

15. वायु प्रदूषण नियत्रंण हेतु व्यवस्थाए की जावें ।
16. खदानों के कारण भूजल स्तर घटता जा रहा है
17. कम्पनी द्वारा खदान क्षेत्र में कोई वृक्षारोपण नहीं कराया गया हैं। अधिक से अधिक वृक्षारोपण कराया जावे एवं उसकी सुरक्षा के उपाय किये जावें।
18. खदान नियमित नहीं चलती है और न ही किसानों को इसका जल दिया जाता है।
19. खदान में मशीनों से खुदाई न की जावें। इससे मजदूरों के रोजगार के अवसर कम होते हैं।
20. खदान के आसपास लगें खेतो की जमीन में खदान का मिट्टी मलबा न फैंका जावें।

अपर कलेक्टर महोदया द्वारा उपस्थित जन सामान्य की आपत्तियों, समस्याओं एवं मॉगों को देखते हुए खदान प्रंबंधन को उनके निराकरण हेतु निम्नानुसार कार्यवाही करने की आवश्यकता बताई गई :–

- गॉव में जनसंख्या के अनुपात में पेयजल हेतु आवश्यक हैंडपंप की व्यवस्था कम्पनी द्वारा कराई जावें।
- खदानों से जितना जल उलीचा जाता है उतना ही उसके भूमि में पुर्नभरण की व्यवस्था कम्पनी द्वारा की जावें।
- कम्पनी द्वारा क्षेत्र की जियोहाईडोलाजिकल स्टडी विवेषज्ञ संस्था से करवाई जावे तथा उसकी अनुशंसा अनुसार भूजल स्तर को बढाने के लिए कार्यवाही की जावे।
- जमीन की प्रकृति को देखते हुए उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षों को लगाया जावें तथा उनकी सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था की जावें।
- कम्पनी के जनकल्याणकारी कार्यो की जानकारी आम जनता को नहीं रहती हैं। अतः कम्पनी द्वारा प्रतिवर्ष जनकल्याण के कार्यों का ब्रोशर एवं केलेन्डर बनवाया जावे तथा किए गये कार्यो का पूरा रिकार्ड रखा जावें।
- खदान में भारतीय खान ब्यूरों द्वारा निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन पूरी तरह से किया जाना सुनिश्चित किया जावें।
- खदान से निकलने वाले ओवरबर्डन का व्यवस्थापन उचित ढ़ग से किया जावे जिससे मिट्टी एवं मलबा आसपास के खेतों में न फैले।
- खदान के आसपास खेतों में ग्राम पंचायत द्वारा राष्टीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योंजना के मद से नालीयॉ बनाई जावें तथा खदान प्रंबंधन द्वारा खदान का जल इन नालियों के माध्यम से किसानों को सिंचाई हेतु दिया जावें। इस संबंध में कम्पनी द्वारा ग्राम पंचायत से आवश्यक समन्वय बनाए जावें।

प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड के अधिकारियों द्वारा उपस्थित जन सामान्य को भरोसा दिलाया गया कि उनके द्वारा उपरोक्तानुसार जो आपत्तिया दर्ज कराई गई है। वह मूलतः म. प्र प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली को प्रेषित किया जाएगा। इन आपत्तियों पर वहॉ पर विशेषज्ञों की कमेटी द्वारा विचार किया जाएगा एवं उनके द्वारा संबंधित खदान परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति आवेदन पर निर्णय लेने के पूर्व सभी आपत्तियों का उचित निराकरण सुनिश्चित कराया जावेगा। लोक सुनवाई के दौरान कुल 77 आपत्तियॉ/सुक्षाव/ टीका टिप्पणी लिखित रूप में प्राप्त हुई। प्राप्त आपत्तियॉ इस विवरण के साथ संलग्न है। इसके उपरांत श्री सेंगर के द्वारा उपरोक्त प्राप्त आपत्तियों, सुझाव, विचार व टीका–टिप्पणी के संबंध में परियोजना प्रबंधन को लिखित में जबाव प्रस्तुत करने हेतु कहा गया । परियोजना प्रबंधन द्वारा इस संबंध में लिखित में जबाव प्रस्तुत किया गया जो इस कार्यवाही विवरण के साथ संलग्न है तथा इस विवरण का भाग हैं। उपस्थित लोगों के द्वारा सुझाव/आपत्ति प्रस्तुत करने एवं खदान प्रतिनिधि द्वारा जबाव प्रस्तुत करने के उपरांत लोक सुनवाई कार्यवाही विवरण की जानकारी उपस्थित जन समुदाय को दी गई।

सभी बिंदुओं पर खदान प्रतिनिधि द्वारा जबाव प्रस्तुत करने के उपरांत अपर कलेक्टर श्रीमति शशि कर्णावत द्वारा परियोजना के संबंध में आपत्ति न होने के बिन्दु पर उपस्थित जनसमुदाय से हाथ उठाकर राय मांगी गई, जिस पर जनसामान्य द्वारा आमराय से खदान द्वारा उनकी अपेक्षाओं को पूरा किए जाने पर

आपत्ति न होने का समर्थन दोहराया गया । तदुपरांत लोक सुनवाई के संबंध मे जन सामान्य की आशंकाओं का समाधान करते हुए अपर कलेक्टर महोदया द्वारा लोक सुनवाई की कार्यवाही समाप्त की गई।

अंत में श्री आर. आर. सिंह सेंगर, सहायक यंत्री द्वारा अपर कलेक्टर श्रीमति शशि कर्णावत समस्त गणमान्य नागरिकों, जनप्रतिनिधियों इत्यादि को लोक सुनवाई में उपस्थित होने एवं अपने विचारों को निर्भीक रूप से रखने के लिए धन्यवाद एवं आभार ज्ञापित किया गया।

(श्रीमति शशि कर्णावत)
अपर कलेक्टर
कटनी

(पुष्पेन्द्र सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जबलपुर